CNR NO. UPDE 0100 3058 2025

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, देवरिया।

पीठासीन अधिकारी- धनेन्द्र प्रताप सिंह, उच्चतर न्यायिक सेवा-UP 2016

आपराधिक निगरानी संख्या- 118/2025

आशुतोष मिश्र पुत्र जयशंकर मिश्र
निवासी जोगठर, थाना-भाटपाररानी, जिला- देवरिया। **निगरानीकर्ता**

बनाम

1- सरकार

2- अखिलेश पाण्डेय पुत्र लल्लन पाण्डेय
निवासी प्रभावती सदन रामनाथ देवरिया निकट महिला थाना,
थाना-कोतवाली, जिला- देवरिया। **विपक्षी**

निर्णय

01. प्रस्तुत आपराधिक निगरानी, न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि०), कक्ष संख्या-26, देवरिया द्वारा परिवाद संख्या- 995/2017, आशुतोष बनाम अखिलेश पाण्डेय, अन्तर्गत धारा-138 एन.आई. एक्ट में पारित आदेश दिनांकित- 09.05.2025 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसमें परिवादी का वाद अन्तर्गत धारा-256 दं.प्र.सं., उसकी अनुपस्थिति में निरस्त करते हुए अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय को दोषमुक्त किया जाता है, का आदेश पारित किया गया।

02. निगरानी का आधार यह है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक- 09.05.2025 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है। विचारण न्यायालय ने आदेश दिनांक 09.05.2025 सरसरी तौर पर कानून का ध्यान दिये बिना ही पारित कर दिया है जो निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय का आदेश दिनांक 09.05.2025 स्पिकिंग आदेश नहीं है। विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करते समय विवेकीय एवं विधिक मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया है। परिवाद दाखिल करने से पूर्व प्रतिपक्षी संख्या-2 को विधिक नोटिस दी गयी। दिनांक 12.04.2018 को निगरानीकर्ता का बयान सशपथ न्यायालय में दाखिल हुआ जिस पर दिनांक 26.05.2018 को प्रतिपक्षी संख्या-2 को विचारण न्यायालय द्वारा तलब किया गया। प्रतिपक्षी संख्या-2 को तलब होने के बाद उसे न्यायालय द्वारा बार-बार सम्मन भेजा गया लेकिन वह न तो न्यायालय उपस्थित हुआ और न ही अपना बयान अंकित कराया और न ही जमानत ही कराया। दिनांक 26.05.2023 के बाद पत्रावली गुम हो गयी, निगरानीकर्ता बार-बार पत्रावली का खोज बीन करता रहा लेकिन पत्रावली नहीं मिली। दिनांक 09.05.2025 को विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता के अनुपस्थिति के कारण उक्त परिवाद पत्र को निरस्त कर बहुत बड़ी भूल कारित किया है जो कि निरस्त होने योग्य है। दिनांक 09.05.2025 तक उक्त मुकदमे में प्रतिपक्षी संख्या-2 उपस्थित नहीं था। निगरानीकर्ता के अनुपस्थिति में उक्त परिवाद में निगरानीकर्ता को कोई सम्मन नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा 256 दं.प्र.सं. का वाचन गलत तरीके से करते हुए आदेश दिनांक 09.05.2025 पारित किया गया है जो निरस्त होने योग्य है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-09.05.2025 निरस्त करने की याचना की गयी है।

03. निगरानीकर्ता की ओर से का०सं०-5 ख/3 आदेश दिनांकित- 09.05.2025 की प्रमाणित प्रतिलिपि, दाखिल किया गया है।

04. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

05. निगरानीकर्ता की ओर से तर्क दिया गया है विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित- 09.05.2025 विधि एवं तथ्यों के प्रतिकूल है एवं निरस्त होने योग्य है। जबकि इसका खण्डन विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किया गया है और कथन किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही तौर पर पारित किया गया है, अतः उसमें हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

06. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत मामले में निगरानीकर्ता के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-138 एन.आई. एक्ट को अन्तर्गत धारा-256 दं.प्र.सं. में परिवादी की अनुपस्थिति में निरस्त करते हुए अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय को दोषमुक्त करने का आदेश पारित किया है, जिसमें विचारण न्यायालय ने यह कथन किया है कि "प्रस्तुत परिवाद में परिवादी को पूर्व में कई अवसर प्रदान करते हुए मामले की सुनवाई स्थगित की जा चुकी है, परन्तु आज भी ना तो परिवादी स्वयं उपस्थित है और ना ही उसकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व प्लीडर या अभियोजन का संचालन करने वाला अधिकारी ही न्यायालय में उपस्थित आया है। अतः परिवादी का वाद अन्तर्गत धारा-256 दं.प्र.सं., उसकी अनुपस्थिति में निरस्त करते हुए अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय को दोषमुक्त किया गया है।" उपरोक्त प्रश्नगत आदेश के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि उक्त आदेश दं.प्र.सं. की धारा-256 के अन्तर्गत पारित किया गया है और परिवादी के उपस्थित न आने पर अभियुक्त अखिलेश पाण्डेय को दोषमुक्त (Acquittal) किये जाने का आदेश पारित करते हुए पत्रावली को दाखिल दफ्तर किये जाने का आदेश किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा धारा-256 दं.प्र.सं. के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अभियुक्त को दोषमुक्त किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा विभिन्न मामलों में दिये गये निर्णयों के अनुसार यदि मजिस्ट्रेट द्वारा धारा-256 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत अभियुक्त को बरी कर दिया जाता है तो शिकायतकर्ता दं.प्र.सं. की धारा-278(4) के तहत उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि धारा-256 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत पारित आदेश के विरुद्ध अपील मात्र माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष ही पोषणीय है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह न्यायालय इस मत का है कि प्रश्नगत आदेश दिनांकित 09.05.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी पोषणीय नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत फौजदारी निगरानी पोषणीय न होने के आधार पर निरस्त की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

sd/-

दिनांक-20.07.2026 **(धनेन्द्र प्रताप सिंह)**
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में दिनांकित व हस्ताक्षरित करके उद्घोषित किया गया।

sd/-

दिनांक-20.07.2026 **(धनेन्द्र प्रताप सिंह)**
सत्र न्यायाधीश,
देवरिया।